न्यायालय
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बउनवान बजरंग कुमार पारीक बनाम रजि० 2022/192 [illegible] [illegible] 16/02/2022 [illegible] 14/8/2022	
27.6.23	आज पत्रावली पेश हुई प्रतिपक्षीगण अवर अभियोजक अनुपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के विचारार्थ धारा 144(4) के अन्तर्गत प्रकरण बउनवानी को तु अमोटो प्रकरण बनाम उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ प्रकरण 16/80/23 दिनांक 22/3/2023 न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ को आवेदन आदेश क्रमांक 2365 दिनांक 2.3.2022 को निरस्त कर दिया गया है प्रकाशित बउनवानी विचारार्थ धारा 144(4) के अन्तर्गत कार्यवाही अप्रोसिड नहीं होने पर धारा 144(4) की कार्यवाही समाप्त किया जाता है पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)